UPPG010046222026

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.–2,प्रतापगढ़।

पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय, (एच.जे.एस.)

JO Code–UP–6467

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1876/2026

दीपक कुमार सरोज उम्र लगभग 33 वर्ष सुत स्व0 रामसेवक,
निवासी औरा, थाना–संग्रामगढ़, जिला–प्रतापगढ़।

.......आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ....विपक्षी

सत्र परीक्षण संख्या–869/2026
मु0 अ0 सं0 : 127/2018
धारा–307, 504, 506 भा0 दं0 सं0
थाना–संग्रामगढ़, जिला–प्रतापगढ़

दिनांकः–04.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक कुमार सरोज** द्वारा मु०अ०सं०–127/2018, धारा–307 504, 506 भा0 दं0 सं0, थाना–संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संक्षेप में कहा कि प्रार्थी पूर्व में जमानत पर मुक्त था। प्रार्थी हर पेशी पर न्यायालय उपस्थित आता था किन्तु अधिवक्ता की लापरवाही से तारीख पेशी पर नही आ सका जिस कारण प्रार्थी के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिया गया। प्रार्थी दिनांक–22.06.2026 से जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरूद्ध है। प्रार्थी ने जानबूझ कर कोई गलती नही किया है। अतः जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

2. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

3. सुना पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त को पूर्व में जमानत पर होना बताया गया है। अभियुक्त दिनांक 22.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर विचार किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.07.04 16:45:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेश

5. प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक कुमार सरोज** का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–127/2018, धारा–307 504, 506 भा0दं0सं0, थाना–संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर, कि–

1. अभियुक्त आरोप विरचन हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगा।
2. अभियुक्त बयान मुल्जिम 313 हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. अभियुक्त गवाहो को न तो डरायेगा न तो धमकायेगा ।
5. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा, जमानत पर रिहा किया जाये।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या-4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी CL- 07/Admin ‘G-II’ दिनांकित 14.03.2023 के अनुपालन में आदेश की सॉफ्ट प्रति जेल अधीक्षक, कारागार, प्रतापगढ़ को जरिये ई-मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इंद्राज e-Prison Software में करें और जमानतनामें दाखिल न किये जाने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

दिनाँक : 04.07.2026

अभयराज/– स्टेनो

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–2, प्रतापगढ़।
J.O. Code–UP 6467